न्यायालयः–विशिष्ठ न्यायाधीश अजा/जजा (अ. नि.) प्रकरण बारां, जिला–बारां(राज0)

सेशन प्रकरण संख्या 439/2017 (493/2017) बउनवान राज्य बनाम नरेश

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये
07.02.2026	विशिष्ठ लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त नरेश मय ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता श्री विनय मेरोठा के उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र धारा 311 दं.प्र.सं. का प्रस्तुत किया गया, नकल विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलायी गयी। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दं.प्र.सं. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में अभियुक्त का पुरुषत्व संबंधी मेडीकल मुआयना साक्ष्य में प्रदर्शित करवाने से रह गया है। उक्त दस्तावेज महत्वपूर्ण प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का मेडीकल मुआयना करने वाले डॉक्टर पी.ड. 15 डॉ. श्याम सुन्दर नागर को पुनः साक्ष्य हेतु तलब किया जावे। साथ ही डी.एन.ए. एफ.एस.एल. रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ डॉ. राजेश कुमार चौधरी को भी साक्ष्य हेतु तलब किये जाने का निवेदन किया। अभियुक्त की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में डॉ. श्याम सुन्दर नागर ने अपने बयानों में अभियुक्त का मेडीकल मुआयना करना नहीं बताया है और न ही उक्त दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया है। अभियोजन ने केवल अपनी कमियों को पूरा करने के लिए उक्त गवाहों को तलब करवाना चाहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। दौराने बहस विशिष्ट लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और पी.ड. 15 डॉ. श्याम सुन्दर नागर व डॉ. राजेश कुमार चौधरी को साक्ष्य हेतु तलब करने का निवेदन किया। इसके विपरीत अभियुक्त के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और अभियोजन का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियुक्त नरेश का मेडीकल मुआयना किया जाना और उससे संबंधित चिकित्सकीय दस्तावेज पत्रावली में शामिल होना प्रकट हो रहा है। पूर्व में पी.ड. 15 डॉ. श्याम सुन्दर नागर के बयान लेखबद्ध करते समय उक्त दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक ने सहवन से उक्त दस्तावेज प्रदर्शित कराने से रह जाना बताया है और उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श डालने हेतु पुनः गवाह को तलब किये जाने का निवेदन किया है। हस्तगत प्रकरण धारा 302, 376 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है, ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज महत्वपूर्ण	नरेश 7/2/26 विशिष्ठ न्यायाधीश अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण बारां (राज.)

साक्ष्य की प्रकृति में आता है। अतः गवाह पी.ड. 15 डॉ. श्याम सुन्दर नागर को साक्ष्य हेतु पुनः परीक्षित कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

विशिष्ट लोक अभियोजक ने डी.एन.ए. एफ.एस.एल. रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ डॉ. राजेश कुमार चौधरी को भी तलब करवाना चाहा है। धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय विचारण की किसी भी स्टेज पर ऐसे व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या ऐसे किसी व्यक्ति को जो साक्ष्य में पहले परीक्षित हो चुका है, उसे पुनः बुला सकता है, यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होती हो। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त अभियुक्त का पुरुषत्व संबंधी मेडीकल मुआयना का दस्तावेज प्रदर्शित कराने से रह गया है तो उक्त पी.ड. 15 डॉ. श्याम सुन्दर नागर को साक्ष्य हेतु पुनः तलब किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही प्रकरण में डी.एन.ए. एफ.एस.एल. जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिसके संबंध में डॉ. राजेश कुमार चौधरी को भी साक्ष्य हेतु तलब किया जाना प्रकरण के सही न्याय निर्णयन के लिए उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्तानुसार विशिष्ठ लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा उक्त उल्लेखित गवाहों को तलब करने के आदेश दिया जाता है। आदेश सुनाया गया।

7/2/26

विशिष्ठ न्यायाधीश
अजा/जजा (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला–बारां(राज.)

आदेश की पालना में प्रकरण में गवाह पी.ड. 15 डॉ. श्याम सुन्दर नागर एवं डॉ. राजेश कुमार चौधरी को साक्ष्य हेतु जर्ये जमानती वारण्ट 5000/– तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य पैरवी दिनांक 17.02.2026 को पेश हो।

7/2/26

विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा. / ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बाराँ (राज.)